



2026:AHC:171804

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
आपराधिक अपील संख्या - 666/1983

बिन्द्रा

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता	: ए/पी0031/2012, पंकज कुमार मिश्र, संजीव कुमार सिंह, सिद्धार्थ शुक्ला
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 90

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद

- अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
- वर्तमान आपराधिक अपील विद्वान सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर द्वारा सत्र विचारण संख्या 67/1981 में पारित दिनांक 08.03.1983 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को धारा 376/511 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया और दो वर्ष छह माह के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया।
- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि घटना अभिकथित रूप से दिनांक 19.02.1980 को घटित हुई, और एफ.आई.आर. उसी दिन दर्ज कराई गई। अभियोजन के वाद के अनुसार, पीड़िता को अभियुक्त बिन्द्रा द्वारा जमीन पर पटक दिया गया, जिसने तत्पश्चात उस पर बलात्संग करने का प्रयास किया; तथापि, वह ऐसा कर पाता, इससे पूर्व साक्षी चन्द्रिका घटनास्थल पर आ पहुंचे। अभियुक्त इस प्रकार वह कृत्य करने में असमर्थ रहा। साक्षी, जो पीड़िता अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के सगे चाचा हैं, ने अभिकथित रूप से अभियुक्त के सिर पर लाठी से प्रहार किया। तथापि, अभिलेख पर न तो पीड़िता की और न ही अभियुक्त की कोई क्षति आख्या उपलब्ध है।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि घटनास्थल अभिकथित रूप से एक कृषि क्षेत्र है, जहां, स्वयं पीड़िता के कथनानुसार, खड़ी गेहूं की फसल उसकी छाती तक ऊंची थी। उसकी चीख सुनकर, उसके चाचा घटनास्थल पर पहुंचे। यह तर्क दिया गया है कि कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, क्योंकि फसल की ऊंचाई को देखते हुए पीड़िता को जमीन पर पटके जाते देखना असंभव था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पीड़िता ने दावा किया कि घटना के समय वह विवाहित थी किंतु उसका गौना नहीं हुआ था। तथापि, विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में, उसने कथन किया कि वह लगभग 20 वर्ष की आयु की थी और कई माह तक अपने ससुराल में निवास कर चुकी थी। अपीलार्थी द्वारा उठाया गया बचाव यह है कि वह चरित्रहीन महिला थी जिसे उसके ससुराल से निकाल दिया गया था, और उसने अपीलार्थी को मिथ्या रूप से फंसाया है। यह तर्क दिया गया है कि ऐसी कोई घटना कभी घटित नहीं हुई और साक्षियों के कथन स्वयं पीड़िता के विवरण के विपरीत हैं। अतः, आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 08.03.1983 अपास्त किए जाने योग्य है और अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने का हकदार है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश विधि के अनुरूप है; अतः, आपराधिक अपील खारिज किए जाने योग्य है।

6. पीड़िता के चाचा (पी.डब्ल्यू.-2) द्वारा दिनांक 19.02.1980 को प्रस्तुत लिखित शिकायत (प्रदर्शक-1) की अंतर्वस्तु के अनुसार, उनकी भतीजी (पीड़िता) भगेलू के खेत की मेड़ पर घास काट रही थी, जो चारों ओर से गेहूं की फसल से घिरा था। उसकी लज्जा भंग करने के आशय से, सहग्रामवासी अभियुक्त बिन्द्रा ने पीड़िता को बलपूर्वक जमीन पर पटक दिया, उसकी छाती पकड़ ली, और एक अशोभनीय कृत्य करने का प्रयास किया। उसके शोर मचाने पर, परिवादी, गोरख और सुन्नर के साथ, घटनास्थल पर पहुंचे। अभियुक्त पीड़िता को छोड़कर भाग गया। परिवादी ने अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया और उसके सिर पर लाठी से प्रहार किया, किंतु अभियुक्त तमंचे से मार डालने की धमकी देते हुए भाग गया। उपर्युक्त सभी व्यक्ति अभिकथित रूप से घटना के साक्षी थे। इसके अतिरिक्त, लिखित शिकायत में अंतिम कुछ पंक्तियों में यह अभिकथित किया गया था

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि एक व्यक्ति नरेश ने घटना में षड्यंत्र किया था, तथा रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया।

7. तथापि, विवेचना पूर्ण करने के पश्चात, कथित षड्यंत्रकर्ता नरेश के विरुद्ध कोई आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। चेक एफ.आई.आर. (प्रदर्श क-2) के अनुसार, घटना दिनांक 19.02.1980 को प्रातः 10:00 बजे घटित हुई, और एफ.आई.आर. उसी दिन 14:15 बजे दर्ज कराई गई। आरोप केवल अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 376/511 भा.द.सं. के अंतर्गत विरचित किए गए।

8. पीड़िता घटना की मुख्य साक्षी है। उसका कथन दिनांक 08.10.1982 को अभिलिखित किया गया, जबकि अभिकथित घटना दिनांक 19.02.1980 को घटित हुई थी। उसने अपनी आयु 20 वर्ष कथन की, जो यह इंगित करता है कि घटना के समय वह वयस्क थी। अपने साक्ष्य में, उसने कथन किया कि घटना प्रातः 10:30 बजे, लगभग ढाई वर्ष पूर्व घटित हुई। तथापि, लिखित शिकायत और चेक एफ.आई.आर. के अनुसार, घटना प्रातः 10:00 बजे घटित हुई, जो घटना के समय के संबंध में एक विसंगति दर्शाता है। वह घटना की सटीक तिथि विनिर्दिष्ट करने में भी विफल रही। उसने कथन किया कि जब वह भगेलू के खेत में घास काट रही थी, तब अभियुक्त आया, उसका हाथ पकड़ लिया, उसे जमीन पर पटक दिया, उसकी छाती पकड़ ली, और उसकी साड़ी उतारने का प्रयास किया। वह चिल्लाई, जिस पर उसके चाचा और साक्षी गोरख और सुन्नर आ पहुंचे। उसके चाचा ने बिन्द्रा को लाठी से मारा, तत्पश्चात बिन्द्रा पीछा किए जाने पर तमंचे से मार डालने की धमकी देते हुए भाग गया। उसने आगे कथन किया कि जब बिन्द्रा ने उसे पटका, तब उसका साथी भी कुछ दूरी पर खड़ा था। तथापि, विवेचना के दौरान, नरेश की कोई भूमिका स्थापित नहीं हुई और उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

9. पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में आगे कथन किया कि जिस खेत में वह घास काट रही थी, वह चारों ओर से गेहूं की ऐसी फसल से घिरा था जो उसकी छाती तक पहुंचती थी। उसने यह भी कथन किया कि घटना के समय, वह विवाहित थी, किंतु उसका गौना नहीं हुआ था।

10. तथापि, अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान, उसने कथन किया कि उसका विवाह 3 से 4 वर्ष पूर्व हुआ था और वह पिछले एक वर्ष से अपने मायके में निवास कर रही थी। उसने आगे कथन किया कि जब अपीलार्थी घटनास्थल पर पहुंचा, तब वह जकड़ी हटा रही थी। उसने स्वीकार किया कि उसे दिशाओं (पूर्व और पश्चिम) का ज्ञान नहीं था। उसने गवाही दी कि जब अभियुक्त आया, तब उसके चाचा 3-4 बीघा की दूरी पर थे और जहां वह बैठी थी वहां से दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बीच में एक अरहर का खेत था। वह यह कथन नहीं कर सकी कि भगेलू का खेत उसके दाहिने ओर था या बाएं ओर, और न ही वह अपने दाहिने और बाएं हाथ में अंतर कर सकी।

11. प्रतिपरीक्षा में, उसने साक्ष्य दिया कि जब बिन्द्रा ने उसका हाथ पकड़ा, तब वह गिर पड़ी; जबकि एफ.आई.आर. और उसकी मुख्य परीक्षा में, यह अभिकथित किया गया था कि उसे अपीलार्थी द्वारा बलपूर्वक जमीन पर पटका गया। उसने आगे कथन किया कि अभियुक्त ने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा और उसकी साड़ी उतारने का प्रयास किया, जिसके पश्चात वह चिल्लाई और उसके चाचा आ पहुंचे। उसने प्रतिपरीक्षा में यह भी साक्ष्य दिया कि उसकी एक संतान थी, यद्यपि उसका गौना नहीं हुआ था और वह कभी अपने ससुराल नहीं गई थी।

12. यह विचित्र है कि जहां उसने प्रारंभ में अपनी मुख्य परीक्षा में दावा किया कि उसका गौना नहीं हुआ था, वहीं उसने बाद में प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि उसकी एक संतान थी, बिना कभी अपने ससुराल गए।

13. उसने आगे कथन किया कि वह बिन्द्रा को पहले से जानती थी क्योंकि वह सहग्रामवासी था, यद्यपि उसके परिवार का उसके परिवार के साथ कोई संबंध नहीं था। उसने कथन किया कि नरेश एक बीघा की दूरी पर था, किंतु वह यह स्पष्ट नहीं कर सकी कि नरेश और उसके चाचा एक ही दिशा में थे या भिन्न-भिन्न दिशाओं में। उसका साक्ष्य इस प्रकार विरोधाभासी और असंपुष्ट है। अपने पूर्व कथन को, कि वह कभी अपने ससुराल नहीं गई, उलटते हुए, उसने तब दावा किया कि वह अपने ससुराल दो बार गई और एक बार वहां एक वर्ष तथा दूसरी बार छह माह तक निवास किया तथा पिछले एक वर्ष से वह अपने मायके लौट आई थी।

14. उसने आगे साक्ष्य दिया कि जब उसके चाचा ने अभियुक्त को लाठी से दो बार मारा, तब उसने कोई शोर नहीं मचाया। यह अभियोजन की कहानी के मूल को ही कमजोर करता है, अर्थात् यह कि उसके चाचा (पी.डबल्यू.-2) उसकी चीख सुनकर घटनास्थल की ओर दौड़े और अभियुक्त के सिर पर प्रहार किया। इस प्रकार, पीड़िता और पी.डबल्यू.-2 (उसके सगे चाचा, एक हितबद्ध साक्षी और शिकायत के लेखक) के कथनों में स्पष्ट विरोधाभास विद्यमान है। उसने यह भी कथन किया कि जब अभियुक्त पर लाठी से प्रहार किया गया, तब वह उसके पास बैठा था। यह इस अभिकथन का पूर्णतः खंडन करता है कि अभियुक्त ने बलपूर्वक उसका हाथ पकड़ा, उसे पटका, उसकी छाती को छुआ, और बलात्संग करने का प्रयास किया। चूंकि पीड़िता लगभग 18 वर्ष की आयु की वयस्क थी और उसने स्वीकार किया कि अभियुक्त उसके चाचा द्वारा प्रहार किए जाने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के समय केवल उसके पास बैठा था, इसलिए इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि वह सहमत पक्षकार थी। उसने साक्ष्य दिया कि विवेचना अधिकारी ने उसका कथन 3-4 दिनों पश्चात उसके घर पर अभिलिखित किया और उसने उसे अपने चाचा द्वारा अभियुक्त को लाठी से मारे जाने के बारे में सूचित किया था, यदि यह तथ्य मेरे कथन में अभिलिखित नहीं किया गया है तो मैं इसका कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण देने में असमर्थ हूं।

15. पीड़िता का कथन स्वयं में स्वतःविरोधाभासी है। पी.डबल्यू.-2 (पीड़िता के सगे चाचा और एक हितबद्ध साक्षी) का साक्ष्य पीड़िता के साक्ष्य से सारवान रूप से विरोधाभासी है और अभियोजन की कहानी की संपुष्टि करने में विफल रहता है। इसी प्रकार, पी.डबल्यू.-3, जिसे अभिकथित रूप से प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताया गया था, का साक्ष्य पीड़िता के विवरण का खंडन करता है और अभियोजन के वाद का समर्थन करने में विफल रहता है। इसके अतिरिक्त, पीड़िता अथवा कथित घायल का कोई चिकित्सीय परीक्षण नहीं किया गया।

16. विवेचना अधिकारी, जिसकी परीक्षा पी.डबल्यू.-4 के रूप में की गई, ने एफ.आई.आर., रोज़नामचा आम (जी.डी.), और आरोप पत्र की सत्यता की पुष्टि की। उसने प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि यद्यपि घटना दिनांक 19.02.1980 को घटित हुई, उसने घटनास्थल का निरीक्षण दिनांक 20.02.1980 को किया। उसने परिवादी और पीड़िता के कथन गांव में अभिलिखित किए। उसने स्वीकार किया कि घटनास्थल पर कोई अन्य साक्षी नहीं मिला, जो लिखित शिकायत का सीधा खंडन करता है। उसने कथित षड्यंत्रकर्ता नरेश की भी कोई संलिप्तता नहीं पाई।

17. पीड़िता, कथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, और अभियोजन के विवरण के साक्ष्यों के मध्य सारवान विरोधाभासों और संपुष्टि के अभाव के आलोक में, अभियोजन अपीलार्थी के विरुद्ध अपना वाद युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी दोषमुक्त का हकदार है।

18. विद्वान सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर द्वारा सत्र विचारण संख्या 67/1981 में पारित दिनांक 08.03.1983 का आक्षेपित निर्णय और आदेश एतद्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

19. तदनुसार, वर्तमान आपराधिक अपील अनुज्ञात की जाती है। अपीलार्थी जमानत पर है; उसके जमानतनामे रद्द किए जाते हैं, और उसके प्रतिभू उन्मुक्त किए जाते हैं। उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20. मूल अभिलेख, इस आदेश की एक प्रति सहित, आवश्यक अनुपालन हेतु विचारण न्यायालय को तत्काल प्रेषित किया जाए।

14 अगस्त, 2026

के.के. मौर्य

(न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।